प्रेस नोट

दिनांक 13.02.2025, थाना धानेपुर

जनपद गोण्डा।

धानेपुर पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड से पीड़ित के रु 30,000/- कराए वापस, पीड़ित ने गोण्डा पुलिस को कहा धन्यवादः-

गोण्डा। जनपद गोण्डा में साइबर फ्रॉड की रोकथाम के संबंध में त्वरित कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के मार्गदर्शन में थाना धानेपुर पर गठित साइबर हेल्प डेस्क कर्मियों द्वारा पीड़ित से फ्रॉड की गयी धनराशि को साइबर सेल गोण्डा व सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए ठगी गयी धनराशि **30,000**/- रूपये पीड़ित के खाता में वापस करवाया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आवेदक रामछवीले द्विवेदी पुत्र रामउदित द्विवेदी निवासी रामपुर दुबावल थाना धानेपुर द्वारा थाना धानेपुर गोण्डा को सूचना दिया की अज्ञात व्यक्ति द्वारा लोन देने का प्रलोभन देकर ओ0टी0पी0 प्राप्त कर साइबर फ्राड़ कर 30,000/- रू0 ट्रांसफर करा लिया गया है। जिस पर थाना धानेपुर पर स्थापित साइबर हेल्प डेस्क पर नियुक्त कर्मियों द्वारा साइबर सेल गोण्डा व सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित कर तत्काल कार्यवाही करते आवेदक रामछवीले द्विवेदी के 30,000/- रूपये की धनराशि वापस करायी गयी। पीड़ित द्वारा अपने रूपये वापस पाकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए गोण्डा पुलिस को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

नोटः- साइबर ठगों से सावधान रहने की जरुरत है। किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओ0टी0पी0, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें। फ्रॉड ट्रांजेक्सन होने पर तत्काल अपने बैंक एवं पुलिस को सूचना दें एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 या डायल-112 पर भी शिकायत दर्ज कराएँ।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेसनोट
दिनांक 13.02.2025

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा 02 हत्याभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–105/25, धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित 02 हत्याभियुक्तों–01. मो0 आमीन उर्फ मुन्ना पुत्र कल्लू खान उर्फ कलूट, 02. सुल्तान पुत्र मो0 आमीन उर्फ मुन्ना निवासीगण तिवारी पुरवा बहराइच रोड थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को रेलवे स्टेशन गोण्डा से सतई पुरवा जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 10.02.2025 को समय करीब सुबह 10:00 बजे थाना को0 नगर क्षेत्रांतर्गत तिवारीपुरवा में दो दुकानदारों में चिकेन की गंदगी फेकने को लेकर विवाद हुआ था। जिसमें मो0 आमीन पुत्र कल्लू (चिकन शॉप) व सुल्तान पुत्र मोहम्मद आमीन ने मो0 यासीन उर्फ यार मोहम्मद पुत्र मंसूर तथा इनके बेटे दानिश को चाकू से वार कर घायल कर दिया था। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल गोण्डा ले जाया गया जहाँ पर चिकित्सकों द्वारा मो0 यासीन को मृत घोषित कर दिया गया। सूचना पर उच्चाधिकारीगणों द्वारा स्थानीय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा डॉग स्क्वायड व फॉरेसिंक टीम को घटना स्थल पर बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गयी तथा घटना स्थल से आलाकत्ल चाकू बरामद किया गया। मृतक के पुत्र दानिश की लिखित तहरीर पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना में संलिप्त अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन कर प्र0नि0 को0 नगर को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए। जिसके क्रम में आज दिनांक 13.02.2025 को थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा घटना कारित करने के 02 आरोपी अभियुक्तों– 01. मो0 आमीन उर्फ मुन्ना, 02. सुल्तान पुत्र मो0 आमीन उर्फ मुन्ना को रेलवे स्टेशन गोण्डा से सतई पुरवा जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. मो0 आमीन उर्फ मुन्ना पुत्र कल्लू खान उर्फ कलूट नि0 तिवारी पुरवा बहराइच रोड थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. सुल्तान पुत्र मो0 आमीन उर्फ मुन्ना नि0 तिवारी पुरवा बहराइच रोड थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–105/25, धारा 103(1),109 बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. प्र0नि0 संतोष कुमार मिश्रा थाना को0 नगर।
02. उ0नि0 रजनीश द्विवेदी।
03. हे0का0 मुबारक हुसैन।
04. का0 दीपक कुमार।
05. का0 विमल सिंह।
06. का0 विजय सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 13.02.2025

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–32/25, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त–01. संतोष यादव पुत्र स्व0 रामप्रसाद यादव साकिन मद्धूपुर मौजा डुमनीपुर थाना अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर को परसिया जाने वाले रोड से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 13.02.2025 को थाना वजीरगंज के उ0नि0 विक्रमादित्य मय हमराह के साथ शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र में रवाना थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि गैंगस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त परसिया जाने वाले रोड पर खड़ा है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस बल द्वारा बताये गए स्थान पर पहुंचकर गैंगस्टर–01. संतोष यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का एक आपराधिक गिरोह है जो भौतिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु गोवंशीय पशुओं की हत्या व उनकी तस्करी की घटनाओं को अंजाम दिया करते है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. संतोष यादव पुत्र स्व0 रामप्रसाद यादव साकिन मद्धूपुर मौजा डुमनीपुर थाना अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–32/25, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 विक्रमादित्य।
02. का0 भूपेन्द्र प्रताप।
03. का0 इन्द्रपाल यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट,
दिनांक 13.02.2025

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त महमूद उर्फ मुराऊ पुत्र भद्दे नि0 ग्राम लोनावा दरगाह थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 13.02.2025 को थाना खरगूपुर के उ0नि0 अभय नारायण यादव शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि सूचना के आधार पर तेन्दुआ चौखड़िया ईट भठ्ठे के पास से अभियुक्त महमूद उर्फ मुराऊ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. महमूद उर्फ मुराऊ पुत्र भद्दे नि0 ग्राम लोनावा दरगाह थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

पंजीकृत अभियोग–

01- मु0अ0स0–32/2025, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 अभय नारायन यादव।
02. का0 पंकज प्रेमी।
03. का0 सुजीत विश्वकर्मा।

मीडिया सेल, गोण्डा।